मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1374

28.07.2025 को उत्तर के लिए

सिंगरौली में औद्योगिक प्रदूषण

1374. डॉ. राजेश मिश्रा :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सिंगरौली जिले में नव स्थापित अथवा पहले से संचालित औद्योगिक इकाइयां पर्यावरण मानकों का पूर्णत: अनुपालन नही कर रही हैं तथा उच्च स्तर का प्रदूषण उत्सर्जित कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यह निर्धारित करने के लिए किए गए व्यापक निरीक्षण का ब्यौरा क्या है कि क्या उक्त उद्योगों द्वारा पर्यावरण मानकों का पालन किया जा रहा है;

(घ) उक्त जिले में पर्यावरण मानकों का अनुपालन न करने के लिए उत्तरदायी उद्योगों के विरूद्ध अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में, विशेषकर उक्त जिले में, उद्योगों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की जांच हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित/प्रस्तावित की जाने वाली कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ड.) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-I के तहत "विभिन्न उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सरण के लिए मानक" अधिसूचित करता है। पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-VI के तहत अधिसूचित सामान्य मानक वहां लागू होते हैं जहां औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विशिष्ट मानक उपलब्ध नहीं हैं। संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी उक्त मानकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। सीपीसीबी ने अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की सभी 17 श्रेणियों और साझा अपशिष्ट शोधन सुविधा-केंद्रों को स्व-नियामक तंत्र के माध्यम से और प्रदूषण के

स्तरों पर नजर रखकर निगरानी तंत्र के सुदृढ़ीकरण और प्रभावी अनुपालन के लिए ऑनलाइन सतत बहिःस्राव/उत्सर्जन निगरानी प्रणालियां (ओसीईएमएस) संस्थापित करने का निदेश दिया है। व्यापारिक बहिःस्राव और उत्सर्जन के पर्यावरण प्रदूषकों के ओसीईएमएस के माध्यम से जेनरेट किए गए रियल-टाइम मान सीपीसीबी और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को 24x7 आधार पर ऑनलाइन प्रेषित किए जाते हैं। सेंट्रल सॉफ्टवेयर आंकड़ों को संसाधित करता है और यदि प्रदूषक पैरामीटर का मान निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों से अधिक हो जाता है, तो एक स्वचालित एसएमएस चेतावनी जारी हो जाती है और औद्योगिक इकाई, एसपीसीबी और सीपीसीबी को भेज दी जाती है, ताकि उद्योग द्वारा तत्काल सुधारात्मक उपाय किए जा सकें और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी/सीपीसीबी द्वारा उचित कार्रवाई की जा सके।

इसके अलावा, सिंगरौली जिले में ओसीईएमएस प्रणाली के अंतर्गत सीपीसीबी द्वारा कुल 3 इकाइयों का निरीक्षण किया गया। इन 3 इकाइयों में से, 2 इकाइयां पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन करती पाई गईं, जबकि 1 इकाई पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन नहीं कर रही थी, जिसके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया। हालाँकि, इकाई द्वारा उसे जारी किए गए एससीएन का यथासमय अनुपालन दर्ज किया गया है। सिंगरौली जिले में इकाइयों के निरीक्षण का ब्यौरा **अनुलग्नक** में संलग्न है।

मध्य प्रदेश के सिंगरौली क्षेत्र, जहाँ बड़ी संख्या में लाल/नारंगी श्रेणी के प्रदूषणकारी औद्योगिक क्षेत्र हैं, को सीपीसीबी द्वारा किए गए व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई) आकलन के तहत गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र (एसपीए) के रूप में अभिज्ञात किया गया है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) ने पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजनाएँ तैयार की हैं। इस कार्य योजना में ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी), कोयला क्षेत्रों, फ्लाई ऐश रन-ऑफ और घरेलू अपशिष्ट जल के शोधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण उपाय शामिल हैं।

जल एवं वायु अधिनियम की धारा 18(1)(ख) के तहत सभी एसपीसीबी/पीसीसी को पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन के सत्यापन हेतु लाल, नारंगी और हरे श्रेणी के उद्योगों का न्यूनतम 6 महीने, 1 वर्ष और 2 वर्ष की निरीक्षण आवृत्ति पर निरीक्षण करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, साझा अपशिष्ट प्रबंधन/शोधन सुविधाओं जैसे एसटीपीएस, सीईटीपी, सीबीएमडब्ल्यूटीएफ आदि, तथा अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की 17 श्रेणियों का एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा तिमाही आधार पर निरीक्षण किया जाना है।

अनुलग्नक

सिंगरौली जिले में स्थित इकाइयों के निरीक्षण के आधार पर ओसीईएमएस

क्र.सं.	**इकाई का नाम और पता**	**राज्य**	**जिला**	**श्रेणी**	**निरीक्षण की तारीख**	**शुरुआती स्थिति**	**जिसके तहत निदेश/नोटिस जारी किए गए**	**ईपीए की धारा 5 के तहत कारण बताओ जारी किए जाने की तारीख**	**अद्यतित स्थिति**	**अनुपालन की तारीख**
1	हिंडेल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड-महान, राष्ट्रीय राजमार्ग-75ई, सिंगरौली -सिद्धि रोड, बरगावान गाँव, सिंगरौली जिला, मध्य प्रदेश, पिनकोड-486886	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	एल्युमिनियम	27/3/2017	अनुपालन नहीं कर रहा	ई (पी) अधिनियम	24/05/2017	अनुपालन कर रहा	14/07/2017
2	मेसर्स महान एनर्जेन लिमिटेड, सिंगरौली, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	ताप विद्युत संयंत्र	14-07-2023	अनुपालन कर रहा	अपेक्षित नहीं		अनुपालन कर रहा	
3	मेसर्स हिंडेल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, बरगावान, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	एल्युमिनियम	09-01-2024	अनुपालन कर रहा	अपेक्षित नहीं		अनुपालन कर रहा	
